रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 21 जुलाई, 2001/30 आषाढ़, 1923

हिमाचल प्रदेश सरकार

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 2001

संख्या आई0 पी0 एच0 (ए) (3)-2/95.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या आई0 पी0 एच0 (ए) (3)-2/95 तारीख 23-10-1996 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में विधि सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग विधि सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2001 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "अ" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग विधि सहायक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध 'अ' में—

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात :—

(3 तीन)

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

"6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640 रुपये"

(ग) स्तम्भ संख्या 6 के सामने विद्यमान उपबन्धों में अंक "35" के स्थान पर "45" अंक प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

(घ) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जायेंगे अर्थात् :—

"भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्यवसायिक उपाधि या इसके समकक्ष उपाधि रखने वाले वरिष्ठ सहायकों/सांख्यकीय सहायकों/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से जिनका 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित 6 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर कनिष्ठ सहायकों में से जिनका 10 वर्ष का नियमित सेवाकाल या 31-3-1998 तक की गई लगातार तदर्थ सेवा सहित 10 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर अन्य सरकारी विभागों में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत विधि सहायकों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा :

परन्तु यह कि प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए अर्थात, वरिष्ठ सहायकों/सांख्किीय सहायकों/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों की दशा में, पात्र कर्मचारियों की, उनकी काडर-अनुसार वरिष्ठता को छेड़े बिना, उनके सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी।"

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में 31-3-1998 तक की गई निरन्तर तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी, परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-1998 तक तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो, को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगे :

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे ऐक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व 31-3-1998 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/

प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु 31-3-1998 तक की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this department notification No. IPH (A)* (3)-2/95, *dated* 20-7-2001 *as required under clause* (3) *of Article* 309 *of the Constitution of India*].

IRRIGATION AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 20*th July*, 2001

No. IPH (A) (3)-2/95.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health Legal Assistant Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified *vide* this department notification No. IPH(A)(3)-2/95 dated 23-10-1996, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health Legal Assistant (Class III Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (*First Amendment*) Rules, 2001.

(*ii*) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of Annexure 'A'.*—In Annexure 'A' to the Himachal Pradesh Department of Irrigation and Public Health Legal Assistant Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 :—

(*a*) For the existing provisions against Column 2, the following shall be substituted, namely:—

"3(Three)"

(*b*) For the existing provisions against Col. No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Rs. 6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640."

(*c*) In the existing provisions against Col. No. 6 for the figure "35" the figure "45" shall be substituted.

(*d*) For the existing provisions against Col. No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst Senior Assistants/Statistical Assistants/Sr. Scale Stenographers who possess the professional degree in Law or its equivalent from a recognised University in India with 6 years regular or regular combined with continuous *adh oc* service (rendered upto 31-3-1998) failing which by promotion amongst the Junior Assistants with 10 year regular combined with continuous

ad hoc service(rendered upto 31-3-1998)failing which by deputation from amongst the Legal Assistants working in the identical pay scales of this post in other Government Departments:

Provided that for the purpose of promotion, *i. e.* in case of Senior Assistants/ Statistical Assistants/Sr. Scale Stenographers combined seniority list of eligible officials on the basis of the length of service without disturbing their cadre-wise *inter se* seniority shall be prescribed."

(1) In all cases of promotion, the continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *ad hoc* appiontment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules, provided that:

(1) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on *ad hoc* basis upto 31-3-1998) followed by regular service/appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.— The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule 3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1998, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service if the *ad hoc* appointment/promotion against such post had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules:

Provided that *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1998, shall remain unchanged.

By order,

Sd/-
Financial Commissioner-cum-*Secretary*.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित